भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3288
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पादप-आधारित खाद्य नवाचार के लिए विनियम

3288. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री कंवर सिंह तंवर:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मनोज तिवारी:

क्या ***खाद्य प्रसंस्करण उद्योग*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पादप आधारित खाद्य नवाचार हेतु स्पष्ट एवं सहायक विनियम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) 2025 किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि पादप-आधारित खाद्य स्टार्टअप कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो;

(ग) सतत विकास और भारत के निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में इस आयोजन के योगदान को मापने के लिए अपनाए जाने वाले तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का किस प्रकार एमएसएमई को पादप आधारित खाद्य क्षेत्र में रूपान्तरण या विस्तार करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सीधी संसदीय क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की क्या योजना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पादप आधारित खाद्य उत्पाद सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य अवयवों का अनुमोदन) विनियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिनके लिए मानक निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य, कार्यात्मक खाद्य और नवीन खाद्य) विनियम, 2016 को भी अधिसूचित किया। बड़ी संख्या में उत्पाद, जिन्हें अन्यथा खाद्य प्राधिकरण से विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती, वे भी इसके अंतर्गत आ गए ।

(ख): वर्ल्ड फूड इंडिया(डब्ल्यूएफआई) ने पादप आधारित खाद्य सहित खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया है। 25-28 सितंबर 2025 के दौरान आयोजित होने वाला वर्ल्ड फूड इंडिया(डब्ल्यूएफआई) 2025, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके एकीकरण की सुविधा प्रदान करके स्टार्टअप सहित पादप आधारित खाद्य उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में समर्पित विषयगत सत्र, प्रदर्शनियाँ और ज्ञान-साझाकरण मंच होंगे, जो वैश्विक निवेशकों, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान संस्थानों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने पर केंद्रित होंगे। यह कार्यक्रम बाजार तक पहुँच बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और पादप-आधारित खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बी2बी मैचमेकिंग के अवसर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और उद्योग गोलमेज सम्मेलन प्रदान करेगा।

(ग): 19-22 सितंबर 2024 के दौरान आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ने अपने प्रमुख फोकस स्तंभों: "न्यूनतम अपशिष्ट, अधिकतम मूल्य" और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में टिकाऊ पैकेजिंग के माध्यम से सतत विकास और भारत के निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पर जोर दिया। इन स्तंभों का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में संसाधन दक्षता, अपशिष्ट में कमी और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधानों को बढ़ावा देना था।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इन सततता-संचालित पहलों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, तथा भारत के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए उद्योग सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगा।

इसके अतिरिक्त,मंत्रालय भारत के निवल-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं में परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, बायो-मास , पवन ऊर्जा आदि की भी सहायता करता है।

(घ): मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पादप आधारित खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने दो स्वायत्त संस्थानों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली , हरियाणा (निफ्टेम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर , तमिलनाडु (निफ्टेम-टी) के माध्यम से सीधी संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में स्टार्टअप की सहायता करता है। ये संस्थान इन स्टार्टअप को हैंडहोल्डिंग सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेशन सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सहायता, नेटवर्किंग अवसर आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच भी प्रदान करते हैं ।

इसके अलावा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की।

*****